**भारत सरकार**

**विद्‌युत मंत्रालय**

**....**

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या-41**

**जिसका उत्तर 20 जुलाई, 2023 को दिया गया**

**विद्‌युत प्रशुल्क प्रणाली**

**41. डॉ. डी.एन.वी. सेंथिलकुमार एस.:**
**डॉ. सुभाष रामराव भामरे:**
**श्री कुलदीप राय शर्मा:**
**श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले:**
**डॉ. अमोल रामसिंह कोल्हे:**

क्या **विद्‌युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या उपभोक्ताओं के लिए पूरे दिन के दौरान विद्‌युत की प्रति इकाई दर समान है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विद्‌यमान विद्‌युत प्रशुल्क प्रणाली में बदलाव लाने का विचार है, जिसके द्‌वारा दिन में अलग-अलग समय के अनुसार उपभोक्ताओं को विद्‌युत हेतु अलग-अलग भुगतान करना है;

(ग) सरकार द्‌वारा शुरू की जा रही टीओडी प्रशुल्क प्रणाली की मुख्य विशेषताएं हैं;

(घ) टीओडी प्रशुल्क प्रणाली के परिणामस्वरूप उपभोक्ताओं को क्या लाभ होंगे;

(ङ) क्या सरकार ने टीओडी प्रशुल्क के संबंध में उपभोक्ताओं हेतु कोई जागरूकता अभियान चलाया है ताकि वे अपने विद्‌युत बिलों में कमी ला सकें और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) टीओडी प्रशुल्क प्रणाली कब तक कार्यान्वित की जाएगी?

**उत्तर**

**विद्‌युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री**
**(श्री आर.के. सिंह)**

**(क) से (ग):** वितरण अनुज्ञप्तिधारियों द्‌वारा अपने उपभोक्ताओं से टाइम ऑफ डे (टीओडी) टैरिफ सहित टैरिफ, उस विशिष्ट श्रेणी के उपभोक्ता के लिए समुचित आयोग के अनुमोदन अनुसार है। अधिकतर राज्यों में टीओडी टैरिफ वाणिज्यिक और औद्‌योगिक उपभोक्ताओं पर लागू होता है। कुछ राज्यों में टीओडी टैरिफ अन्य उपभोक्ताओं उदाहरणार्थ घरेलू और कृषि उपभोक्ताओं के लिए भी लागू है।

विद्युत मंत्रालय ने दिनांक 14.06.2023 की अधिसूचना द्वारा विद्युत (उपभोक्ता अधिकार) संशोधन नियम, 2023 जारी किए हैं, जिसमें टाइम ऑफ डे (टीओडी) टैरिफ के लिए नियम भी विनिर्दिष्ट किए गए हैं। इन नियमों की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैं:

i. 10 किलोवॉट से ज्यादा की अधिकतम मांग वाले वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए टीओडी टैरिफ को दिनांक 1 अप्रैल, 2024 को अथवा उससे पहले की तिथि से प्रभावी किया जाएगा और कृषि उपभोक्ताओं के अलावा अन्य उपभोक्ताओं के लिए, टीओडी टैरिफ को दिनांक 1 अप्रैल, 2025 को अथवा उससे पहले की तिथि से प्रभावी किया जाएगा।
ii. टीओडी टैरिफ उपभोक्ताओं के लिए स्मार्ट मीटर संस्थापित करने के तुरंत बाद प्रभावी किया जाएगा।
iii. वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए, दिन की व्यस्ततम अवधि के दौरान, टीओडी टैरिफ, सामान्य टैरिफ के 1.20 गुना से कम नहीं होगा और अन्य उपभोक्ताओं के लिए यह सामान्य टैरिफ के 1.10 गुना से कम नहीं होगा।
iv. राज्य आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट की जाने वाली, दिन की सौर अवधि के लिए टैरिफ, उस श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए सामान्य टैरिफ से कम से कम बीस प्रतिशत (20%) कम होगा।
v. टीओडी टैरिफ सामान्य टैरिफ के ऊर्जा प्रभार घटक पर लागू होगा।

**(घ) :** उपभोक्ताओं के लिए टीओडी टैरिफ प्रणाली के प्रयोग के लाभ निम्नानुसार हैं:

i. टीओडी टैरिफ में व्यस्ततम अवधि, सौर अवधि और सामान्य अवधि के लिए अलग-अलग टैरिफ शामिल हैं, जो उपभोक्ताओं को टैरिफ के अनुसार अपने भार के प्रबंधन के लिए मूल्य संकेत भेजता है। चूंकि, सौर-अवधि के दौरान टैरिफ सामान्य टैरिफ से कम से कम 20% कम होगा, अतः उपभोक्ता सौर-अवधि के दौरान, जब विद्युत की लागत कम होगी, तब खपत को शिफ्ट कर सकता है और लाभान्वित हो सकता है।
ii. टीओडी टैरिफ तंत्र के प्रति जागरूकता और इसके प्रभावी उपयोग से, उपभोक्ता विद्युत की खपत पर होने वाले अपने व्यय को कम कर सकते हैं।
iii. यह उत्पादन क्षमता को बेहतर बनाता है, यूटिलिटियों की भार-उत्पादन संतुलन को बनाए रखने तथा व्यस्ततम भार को पूरा करने के लिए महंगी विद्युत की व्यवस्था करने के लिए वित्तीय बोझ को कम करने में सहायता करता है, जो अंततः अंतिम उपभोक्ताओं के लिए लाभकारी होगा।
iv. यह नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन के उतार-चढ़ाव के प्रबंधन में भी सुधार करता है और नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन की अवधियों के दौरान अधिक खपत को प्रोत्साहित करता है, जिससे उपभोक्ताओं को उचित दरों पर विश्वसनीय और स्वच्छ विद्युत की उपलब्धता का लाभ मिलता है।

**(ङ) और (च) :** विद्युत मंत्रालय ने टाइम ऑफ डे टैरिफ नियमों के बारे में व्यापक जागरूकता सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय कदम उठाए हैं। मंत्रालय का उद्देश्य, इन नियमों को दिनांक 16.06.2023 के पत्र द्वारा और दिनांक 23.06.2023 की प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों सहित सभी हितधारकों में परिचालित कर, आम जन तक पहुंचना और उन्हें इस नई टैरिफ संरचना के लाभों और निहितार्थों के बारे में शिक्षित करना है। नई टैरिफ संरचना के अंतर्गत, जो दिनांक 1 अप्रैल, 2024 को या उससे पूर्व प्रभावी होगी, 10 किलोवॉट से अधिक की अधिकतम मांग वाले वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ता टाइम ऑफ डे टैरिफ के पात्र होंगे। इसी प्रकार, कृषि उपभोक्ताओं को छोड़कर अन्य सभी उपभोक्ताओं के लिए, टीओडी टैरिफ दिनांक 1 अप्रैल, 2025 को या उससे पहले कार्यान्वित किया जाएगा।

*************